कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, वाराणसी।

पत्र संख्याः 2017/33343/VNS/VARANASI/202/CFO दिनांकः जनवरी 19 , 2019

सेवा में,

स्वामी/प्रबन्धक/प्रधानाचार्य,
जे0डी0एस0 पब्लिक स्कूल, पॉचो शिवाला, कोईरीपुर,
थाना बड़ागॉव, वाराणसी।

विषयः विद्यालय भवन **जे0डी0एस0 पब्लिक स्कूल, पॉचो शिवाला, कोईरीपुर, थाना बड़ागॉव, वाराणसी** भवन में अधिष्ठापित जीव रक्षा प्रणाली एवं अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर, आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक।

——

संदर्भः आपका पत्र दिनांकः 10.01.2019

——

कृपया अपने उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करें, जो विद्यालय भवन **जे0डी0एस0 पब्लिक स्कूल, पॉचो शिवाला, कोईरीपुर, थाना बड़ागॉव, वाराणसी** में स्थापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर, आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

उपरोक्त सम्बन्ध में इस कार्यालय के समांक पत्र दिनांकः 10.08.2017 का अवलोकन करें, जिसमें अंकित है किः—

A. भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणीः—उक्त भवन का अधिभोग शैक्षणिक भवन के रूप में किया जा रहा है।

1. **उक्त भवन भूतल+प्रथम तल तक बना हुआ है।**
2. **पहुॅच मार्गः—उक्त भवन लगभग 05.00 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित है।**
3. **प्रवेश द्वार की चौड़ाईः—उक्त भवन में 4.50 मीटर चौड़ा दो प्रवेश द्वार बनाया गया है।**
4. **निकास मार्गः—उक्त भवन में दो स्टेयर केस बनाया गया है।**
5. **रिफ्यूज एरियाः—निल**

B. स्थापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाः—नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया—2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थायें पूर्ण पायी गयीः—

1. **भूमिगत् टैंकः—एन0बी0सी0—2005 के मानकों के अनुसार आवश्यक नही है।**
2. **पम्पः—नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया—2005 के मानकों के अनुसार आवश्यक नही है।**
3. **होजरीलः—उक्त भवन में होजरील सिस्टम नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया—2005 के मानको के अनुसार स्थापित कराया जाना आवश्यक नही है।**
4. **वेट राइजर/डाउनकमर सिस्टमः—उक्त भवन में डाउनकमर सिस्टम नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया—2005 के मानको के अनुसार स्थापित कराया जाना आवश्यक नही है।**
5. **यार्ड हाईड्रेन्टः—उक्त सम्पूर्ण भवन परिसर में यार्ड हाईड्रेन्ट होज कैबिनेट एवं उसमें डिलीवरी होज तथा ब्रांच पाइप एवं फायर सर्विस इनलेट का प्राविधान आई.एस.—13039:1991 के अनुसार आवश्यक नही है।**
6. **हस्त चालित इलेक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टमः—उक्त भवन में मैनुअली आपरेटिड इलेक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम का प्राविधान नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया—2005 के मानकों के अनुसार आवश्यक नही है।**
7. **स्वचालित डिडेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टमः—उक्त भवन में आटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधान नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया—2005 के मानको के अनुसार आवश्यक नही है।**
8. **स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टमः—उक्त भवन में आटोमेटिक स्प्रिकंलर सिस्टम नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया—2005 के मानकों के अनुसार आवश्यक नही है।**
9. **टैरेस टैंकः—उक्त भवन के टैरेस पर नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया—2005 के मानकों के अनुसार टैरेस टैंक स्थापित किया जाना आवश्यक नही है।**
10. **टैरेस पम्पः—उक्त भवन के टैरेस टैंक पर टैरेस पम्प नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया —2005 के मानकों के अनुसार स्थापित किया जाना आवश्यक नही है।**
11. **प्राथमिक अग्निशमन उपकरण(फायर एक्सटिंग्यूशर):—उक्त भवन में प्राथमिक अग्निशमन उपकरण**

CFO VNS

——— 2 पर

(फायर एक्सटिंग्यूशर) आई.एस.–15683:2006 के अनुसार कार्यशील दशा में स्थापित है। जिसका निरीक्षण/परीक्षण शुल्क चालान संख्याः वी 070072 दिनांकः 04.08.2017 पर रूपया–100/– राजकीय कोष में जमा करा दिया गया है।

12. एक्जिट साइनेजः–प्रश्नगत् भवन में एक्जिट साइनेज स्थापित किया गया है।

C. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्याः 483/2009 में पारित आदेश दिनांकः 13.04.2009 का पालन अनिवार्य होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से निर्देशित है किः–

1. किसी भी स्कूल को मान्यता देने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि स्कूल का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड में प्रविधानित सुरक्षा मानकों के अनुरुप है।
2. समस्त राजकीय और निजी विद्यालयों में एक माह में अग्निशमन यंत्र स्थापित किये जाय।
3. विद्यालय के भवन में ज्वलनशील एवं जहरीलें पदार्थ न रखे जाए और यदि उन्हें रखना अति आवश्यक हो तो उन्हें सुरक्षित ढंग से रखने का उपाय किया जाय।
4. समय–समय पर विद्यालय के भवन की मजबूती की समीक्षा सुनिश्चित की जाए। सम्बन्धित अधिकारी एवं अभियंता इस सम्बन्ध में नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरुप सुरक्षा प्रमाण पत्र केवल समुचित जॉच के उपरान्त ही प्रदान करेगें। नियमों के विरुद्ध यदि प्रमाण पत्र जारी किये जाते है तो इस सम्बन्ध में दोषी पाए गए कर्मियों के विरुद्ध अनुसाशनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. विद्यालय के स्टाफ तथा शिक्षकों को अग्निशमन उपकरणों और सुरक्षा उपायों के लिए प्रशिक्षित किया जाय।

D. शासनादेश संख्याः 1528/9–6–2008 दिनांकः 20 जुलाई, 2009 का पालन अनिवार्य होगा।

E. फायर सर्विस मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निर्गत आदेश पत्र संख्याः एफ0एस0–1076 /2012 दिनांकः 05 अक्टूबर 2012 का पालन अनिवार्य होगा।

F. नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 के मानकों का उल्लंघन किसी भी दशा न किया जाय।

G. सेटबैक, पलायन मार्ग, ट्रेवलिंग डिस्टेन्स इत्यादि मे कोई अवरोध न रखा जाय अर्थात सदैव बाधारहित रहना चाहिए।

H. उपरोक्त अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था एवं जीव रक्षा प्रणाली के अकार्यशील दशा में होने पर एवं पत्र में वर्णित निर्देशों/शर्तो का पालन न होने पर यह प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

I. अग्निशमन सुरक्षा प्रणाली को ठीक कराये जाने तथा उक्त आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने तक भवन का प्रयोग प्रबन्धक/प्रधानाचार्य के स्वयं की जिम्मेदारी पर किया जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार जे0डी0एस0 पब्लिक स्कूल, पॉचो शिवाला, कोईरीपुर, थाना बड़ागॉव, वाराणसी में स्थापित अग्निशमन व्यवस्था को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने तथा प्रत्येक वर्ष अग्निशमन विभाग से निरीक्षण/परीक्षण कराकर विहित शुल्क राजकीय कोष में जमा कर, प्राप्त पत्र का नवीनीकरण कराये जाने की शर्त पर अग्निशमन सुरक्षा पत्र निर्गत किया जाता है, जो एक वर्ष के जिये वैध माना जायेगा।

उपरोक्त शर्तो का विचलन होने पर यदि कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो उसकी जिम्मेदारी स्वामी/प्रबन्धक की होगी।

उपरोक्त शर्तो का पालन न किये जाने पर निर्गत पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

अतः विद्यालय भवन **जे0डी0एस0 पब्लिक स्कूल, पॉचो शिवाला, कोईरीपुर, थाना बड़ागॉव, वाराणसी** में अधिष्ठापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था को इस कार्यालय के समांक पत्र दिनांकः 10.08.2017 द्वारा निर्गत पत्र को, उसी क्रम में निर्गत तिथि से एक वर्ष तक के लिये इस शर्त पर बढ़ाया जाता है कि, विद्यालय भवन में स्थापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण/परीक्षण प्रत्येक वर्ष अग्निशमन विभाग से कराकर, विहित शुल्क राजकीय कोष में जमा कर, प्राप्त पत्र का नवीनीकरण कराया जाना सुनिश्चित करेगें। निरीक्षण/परीक्षण कराने की पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक स्वामी/प्रबन्धक/प्रधानाचार्य की होगी।

19 JAN 2019

(अनिमेष सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
वाराणसी।

(अनिमेष सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वाराणसी।

प्रतिलिपिः–अग्निशमन अधिकारी चेतगंज, वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।